बीआरकेजीबी स्वच्छता योजना : जल, स्वच्छता और बीमारियों की रोकथाम (Wash) सम्बन्धी गतिविधियों के लिये वित्तपोषण

मानदण्ड	निर्देश
योजना का नाम	बीआरकेजीबी स्वच्छता योजना : जल, स्वच्छता और बीमारियों की रोकथाम (Wash) सम्बन्धी गतिविधियों के लिये वित्तपोषण
ऋण सुविधा प्रकार	आवधिक ऋण
उद्देश्य	कोविड–19 महामारी के दौरान जल, स्वच्छता और बीमारियों की रोकथाम (Wash) को बढावा देना
पात्र गतिविधियाँ	(i) घरेलू शौचालय निर्माण– दो गड्ढे वाले (Twin pit) (ii) पुरानी स्वच्छता इकाई (sanitation unit) को दुरस्त करना (iii) मौजूदा शौचालय को शौचालय–सह– स्नानागार में बदलना (iv) साझे शौच सुविधा का निर्माण या नवीकरण (v) वाश बेसिन सुविधा लगाना या जोडना (vi) मौजूदा शौचालय को पारिवारिक शौचालय में बदलना/ निर्माण (vii) घरेलू वॉटर मोटर पम्प/ बोर वेल/ट्यूब वेल/पानी की भूमिगत टंकी का निर्माण (viii) पानी का कनेक्शन/पाइपलाइन (ix) जल संग्रहण हेतु छत की टंकी (x) वर्षा जल संग्रहण संरचना (Rainwater harvesting structure) का निर्माण (xi) वाटर फिल्टर/ प्यूरिफायर (xii) सामुदायिक जल शुद्धिकरण प्लाँट (xiii) अपशिष्ट जल प्रणाली–पाइप, नाली, भीगे गड्ढे (soak pits) (xiv) सैनीटरी नैपकिन निर्माण इकाईयों हेतु स्वयं सहायता समूहों का गठन एवंवित्तपोषण
पात्रता	➢ व्यक्ति, ➢ स्वयं सहायता समूह एवं जेएलजी ➢ स्वयं सहायता समूह के व्यक्तिगत सदस्य • अर्द्ध–शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति जिनके पास स्वयं का आवासीय भवन हो जिसमें उक्त सुविधाओं के निर्माण हेतु पर्याप्त जगह उपलब्ध हो। • आवेदक किसी भी बैंक/वित्तीय संस्थान का डिफाल्टर नही हो। • व्यक्ति के पास ऋण की किश्त तथा ब्याज चुकाने हेतु पर्याप्त आय उपलब्ध हो।
उम्र	➢ न्यूनतम 18 वर्ष ➢ ऋण सुविधा प्राप्त करते समय अधिकतम 70 वर्ष (यदि भू मालिक की उम्र 70 वर्ष से अधिक हो तो ऐसी स्थिति में कानूनी उत्तराधिकारी को सह आवेदक बनाया जावें)
ऋण सीमा	अधिकतम रू. 1.00 लाख (परियोजना लागत के अनुसार)
मार्जिन	10 प्रतिशत
ब्याज दर	बैंक के द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रानुसार
सेवा प्रभार	बैंक के द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रानुसार
चुकौति अवधि	60 माह (निर्माण हेतु मोरेटोरियम 3 माह सहित) किश्तें ऋणी की आय अर्जन गतिविधि एवं आवधिकता के अनुसार मासिक/त्रैमासिक/अर्द्ध–वार्षिक निर्धारित हो सकती है।
प्रतिभूति	**प्राथमिक प्रतिभ्ति** • ऋण से निर्मित आस्ति का दृष्टिबन्धक (जिन मामलों में बिन्दु संख्या 5 (पात्र गतिविधियां) के उपबिन्दु संख्या (xi) से (xiv) हेतु ऋण प्रदान किया जाना प्रस्तावित हो) • सम्पत्ति का साम्यिक बंधन (जिन मामलों में बिन्दु संख्या 5 (पात्र गतिविधियां) के उपबिन्दु संख्या (i) से (x) हेतु ऋण प्रदान किया जाना प्रस्तावित हो) **सम्पार्श्विक प्रतिभूति** • तृतीय पक्ष की गारण्टी (जहां केवल ऋण से निर्मित आस्ति का दृष्टिबन्धक किया जाना प्रस्तावित हो)